<u>बिहार सरकार</u> नगर विकास एवं आवास विमाग

अधिसूचना

संख्या—11/न0वि0/गठन—07/24 अधिसूचना संख्यां—े\&्रे दिनांक—/का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार पाज्यपाल के आदेश से. (अभय कुमार सिंह सरकार के सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग।

Government of Bihar Urban Development and Housing Department

Notification .

Memo No-11/N. Vi./Gathan-07/24 In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of the persons who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft will be considered within a month from the date of publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section 5 of the said Act.

Draft Order

Memo No- 11/N.vi/Gathan-07/2024 /In exercise of powers conferred by Secion 3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provisions and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling under Madhuban Block of the District of East Champaran whose boundary, area and population are noted below:-

Sl. no	Name of Urban Body	Name /thana no. of included Villages	Boundary (with thana no.) of Nagar Panchayat	Area of Nagar Panchay at	Total Population of Nagar Panchayat (as per cencus year, 2011)
1	2	3	4	5	6

Name of District-East Champaran							
1	Nagar	Vishunpurtara	North-Banki Tikam	552.94	16391		
	Panchayat,	-32	(31)	Hectere			
	Madhuban	Madhuban-85	South-Koilhara(93)				
			East-Saraiya (80)				
			West-Talimpur(29)				

This area will be called Nagar Panchayat, Madhuban. 2. This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

Memo No-11/N. Vi./Gathan-07/24 りとし、UD&HD Dated:-03/63/25-

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban 2. Development and Housing Department.

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

Memo No-11/N. Vi./Gathan-07/24 りとい UD&HD

No-11/N. Vi./Gathan-07/24 482 UD&HD Dated:-03 3 25 Copy to Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/Additional Chief Secretary/Pricipal Secretary/ Secretary/ All Departments/All Departmental Heads/All Divisional Commissioner/All Commissioner, District Magistrates/Municpal All Municipal Corporation/Excutive Officer, All Municipal Council and Nagar Panchayat/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer, East Champaran/Private Secretary to the Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

SUM (Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

Memo No-11/N. Vi./Gathan-07/24 ひをついていている UD&HD Dated: - 03/03/25~ Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan,

Patna/Director of Census Directorate, Bihar, Patna for information and necessary action.

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

बिहार सरकार नगर <u>विकास एवं आवास</u> विमाग

अधिसूचना - 120 03/03/25,

संख्या—11/न0वि0/गठन—07/2024 \\ & 2 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 सह पठित धारा 4 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप प्रकाशित करना चाहते हैं, जिससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित जिला पदाधिकारी / प्रण्डलीय आयुक्त के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या—11/नि0वि0/गठन—07/2024 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबन प्रखण्ड के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:—

क्र0 सं0	प्रस्तावित नगर	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नंo	प्रस्तावित नगर	प्रस्तावित नगर पंचायत की		
	निकाय का	नं0	सहित)	पंचायत	कुल जनसंख्या		
	नाम			का क्षेत्रफल	(वर्ष 2011 जनगणना के		
				<i>র স</i> ঞ্চল	अमगणना क आधार पर)		
1	2	3	4	5	6		
जिला का नाम-पूर्वी चम्पारण							
1	नगर पंचायत, मधुबन	विशुनपुरतारा—32 मधुबन—85	उत्तर —बांकी टिकम (31) दक्षिण —कोइलहरा (93) पूरब— सरैया (80) पश्चिम—तालिमपुर (29)	552.94 हेक्टेयर	16391		

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, मधुबन कहा जायेगा। 2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

राज्यपाल के आदेश से. बिहा Jylu-(अभय कुमार सिंह) सरकार के सचिव।

भेष्ट्रे, ज्ञापांक—11/न0वि0/गठन—07/2024 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक— ०३/०३/२३/ प्रतिलिपिः—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर| विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

482, सरकार के सचिव। ज्ञापांक-11/न0वि0/गठन-07/2024 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक- 03/03/25प्रतिलिपिः—माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, नगर विकास एवे आवसि विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत / महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण / सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। ज्ञापांक—11/न0वि0/गठन—07/2024 / न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक— ٥९/٥९/२२ प्रतिलिपिः—सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवनү पटना/निदेशक, जन सरकार के संचिव। निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के